राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक : एफ 165(7)ले.ब./परावि/एस.एफ.सी–पंचम/15–16/2571 जयपुर, दिनांकः–24/11/2020

प्रमुख शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा एवं भाषा एवं पुस्तकालय एवं,
पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग,
शासन सचिवालय जयपुर।

विषयः– माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा कियान्वित योजनाओं की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशों की अनुपालना के सम्बन्ध में।

संदर्भः– विशिष्ठ शासन सचिव ग्रा.वि. के अ.शा. टीप क्रमांक एफ 27 (101)ग्रा.वि.वि./पीएमएवाईजी/एसएम/ग्रुप–5/विविध/2017–18 दिनांक 22.09.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा कियान्वित योजनाओं की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक दिनांक 21.09.2020 को दिये गये निर्देशों के बिन्दु संख्या 10 **"पंचायत सहायकों द्वारा कार्य विधालयों में शिक्षा विभाग के अधीन किया जा रहा है जबकि मानदेय राज्य वित्त आयोग से दिया जाता है। इस क्रम में विभागीय प्रस्ताव अनुसार देय मानदेय भी शिक्षा विभाग स्तर से ही दिये जाने के क्रम में समीक्षा हेतु उत्तरदायी विभाग के रूप में वित्त विभाग/पंचायती राज विभाग को निर्देशित किया गया, अंकित है।**

उक्त प्रकरण अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदन उपरान्त विभागीय टिप्पणी निम्नानुसार हैः– "पंचायत सहायकों की भर्ती के लिए पंचायती राज अधिनियम के अन्दर प्रावधान किया गया है, परन्तु इनकी भर्ती का समस्त कार्य आपके विभाग द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा मात्र पंचायत सहायकों को मानदेय पर लगाने आदेश जारी किया जाता है। पंचायत सहायक स्कूलों में कार्य कर रहे है, परन्तु इनके मानदेय का भुगतान राज्य वित्त आयोग के मद से ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाता रहा है।"

उल्लेखनीय है कि राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान राशि पंचायती राज संस्थाओं के विकास कार्यों के लिए हैं, न कि विद्यालयों में कार्यरत पंचायत सहायकों के मानदेय के लिए।

अतः आपको अवगत कराया जाता है कि पंचायत सहायकों के मानदेय का भुगतान राज्य मद से स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित करावें।

कृपया इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय

(मंजू सेजपाल)
शासन सचिव एवं आयुक्त

www.rajteachers.com

क्रमांक : एफ 165(7)ले.ब./परावि/एस.एफ.सी–पंचम/15–16/ जयपुर, दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रा.वि. एवं पंरावि।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंरावि।
6. उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव–प्रथम (विधि अनुभाग)।

(हरि सिंह मीणा)
वित्तीय सलाहकार

www.rajteachers.com